पत्रांकः–10/मु०–62/2020 (अंश–II).............

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सचिन्द्र कुमार,
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवामें

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला क्रार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०),
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक...........................

विषयः– **CWJC No-20406/2018 Md. Alauddin Bismil Vs The State of Bihar &ors. में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि CWJC No-20406/2018 Md. Alauddin Bismil Vs The State of Bihar &ors.में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

(b) Till such time individual enquiry with respect to entitlement and compliance of statutory provisions of law and Government resolutions is not concluded, the amount by way of grants-in-aid shall not be released in favour of 609 educational institutions;

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C.W.J.C. No-20406/2018 मो० अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश (f) के अनुपालन के संबंध में अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के अन्तर्गत अनुदानित मदरसों का जिला त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा, विभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया गया था। समीक्षोंपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित मानक मंडल को पूर्ण नहीं करने वाले मदरसों की प्रस्वीकृति रद्द करने हेतु समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 के नियम 12 (2) के तहत कार्रवाई करने हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को पत्र प्रेषित किया गया था। तदालोक में मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके दावे की सम्पुष्टि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए अनुशंसा के साथ अद्यतन 03 मदरसों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी समीक्षा दिनांक 15.05.2026 को समिति द्वारा किया गया।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुशंसा सहित उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोंपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् 02 मदरसों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11. 1980 में आवश्यक अर्हता को पूरा करने की अनुशंसा की गयी है। विवरणी निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	मदरसा क्रमांक एवं स्तर	मदरसा का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4
1	205/88 वस्तानियां	मदरसा दारूल बनात बेतहा परिहार	सीतामढ़ी

D COURT CASE LETTER

2	205/89 वस्तानियां	मदरसा तालिमुल बनात बेला मच्छपकौनी, परिहार, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी

अतः निदेशानुसार कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित आवश्यक अर्हता को पूर्ण करने वाले उपरोक्त वर्णित कुल 02 मदरसों के वेतनानुदान का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सचिन्द्र कुमार)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–10/मु०–62/2020 (अंश–II)............ पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–10/मु०–62/2020 (अंश–II)...1258 पटना, दिनांक–08-6-26

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.6.2026

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।